न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 54/2018

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति तारामती वैष्णव (आर.ए.एस.)

1. छोटी पत्नि सकराम जाति गुर्जर
2. शोराम पुत्र सकराम जाति गुर्जर
3. भोमा पुत्र सकराम जाति गुर्जर
4. धन्ना पुत्र सकराम जाति गुर्जर
5. बद्री पुत्र सकराम जाति गुर्जर

समस्त निवासी ग्राम जडाना तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।

वादी

बनाम

1. लाडा पत्नि लादू जाति गुर्जर निवासी जडाना तहसील सरवाड़ जिा अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरवाड़।

प्रतिप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः– श्री निहालचन्द जैन एडवोकेट प्रार्थी

निर्णय दिनांक 23.12.2019

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी वाके ग्राम जडाना खाता सं. 137 खसरा नं. 328 रकबा 0.78 है0 भूमि के लगवां खसरा नं. 333 सरकारी सिवायचक भूमि है। उक्त सिवायचक भूमि से होकर प्रार्थीगण का अपनी खातेदारी आराजीयात में आने जाने का कदीमी रास्ता है जिसका प्रार्थीगण वर्षों से बिना किसी रूकावट के उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण का अपनी आराजीयात खसरा नं. 328 रकबा 0.78 है0 पर आने जाने का खसरा नं. 333 सरकारी सिवायचक भूमि में से एकमात्र कदीमी रास्ता है अन्य कोई रास्ता नहीं है। अप्रार्थी सं. 01 ने प्रार्थीगण के उक्त एकमात्र रास्ते को अनाधिकृत तरीके से कब्जा करने की नियत से अवरूद्ध

Scanned by CamScanner

कर दिया है अप्रार्थी सं. 01 द्वारा रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा कर लेने से प्रार्थीगण का रास्ता अवरूद्ध हो गया है अतः अप्रार्थी सं. 01 द्वारा खसरा नं. 333 पर किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाया जाकर रास्ता खुलाशा कराया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी आराजीयात खसरा नं. 328 में आने जाने हेतु खसरा नं. 333 में से पन्द्रह फीट का रास्ता दिया जाकर राजस्व रेकार्ड में तरमीम किया जावे प्रार्थीगण सिवायचक भूमि की डी.एल.सी. दर से राशि राज्य सरकार को जमा करवाये जाने को तैयार है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 01 को काफी समय दिए जाने के उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर जवाब बन्द कर अप्रार्थी सं. 02 से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई।

अप्रार्थी सं. 02 पैरोकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत किया तथा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम जडाना के खसरा नं. 328 राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में छोटी पत्नि सकराम, शोराज, भोमा, धन्ना बद्री पि0 सकराम, उगमी पत्नि छोटू, नाथू, कैलाश पि. छोटू कौम गुजर सा. देह खातेदार दर्ज रेकार्ड है। खसरा नं. 333 रकबा 1.30 है0 भूमि सिवायचक दर्ज हैं। खसरा नं. 333 में से प्रार्थीगण की आराजीयात खसरा नं. 328 में जाने हेतु रास्ता बना हुआ है। पूर्व में इसी रास्ते से आते जाते हैं। खसरा नं. 328 में आने जाने का अन्य कोई वैकल्पित रास्ता व निकटतम रास्ता नहीं है। अतः प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ता 80 मीटर X 4 मीटर का कुल 320 वर्गमीटर यानि 0.032 है0 का रास्ता दिया जाना न्यायोचित हैं। प्रार्थीगण के आने जाने के रास्ते खसरा नं. 333 पर अप्रार्थी सं. 01 ने अतिक्रमण कर बाड़ा बना रखा है।

प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं. 328 रकबा 0.78 है भूमि में आने जाने का एक मात्र रास्ता सिवायचक भूमि खाता सं. 01 खसरा नं. 333 रकबा 1.30 है0 में से होने व अन्य कोई वैकल्पित रास्ता नहीं होने से प्रार्थीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सरवाड़ को निर्देशित किया जाता है कि खसरा नं. 333 सरकारी सिवायचक भूमि से अप्रार्थी

Scanned by CamScanner

सं. 01 का अतिक्रमण हटाया जावे तथा प्रार्थीगण द्वारा रास्ते के उपयोग हेतु दी जाने वाली भूमि 80 मीटर X 4 मीटर का कुल 320 वर्गमीटर यानि 0.032 है0 भूमि का वर्तमान में प्रचलित डी.एल.दर का दो गुणा राशि का भुगतान राजकोष में जमा कराये जाने पर वादी गण की खातेदारी भूमि खसरा नं 328 रकबा 0.78 है भूमि में आने जाने हेतु खसरा नं. 333 रकबा 1.30 है0 में से 80 मीटर X 4 मीटर का कुल 320 वर्गमीटर यानि 0.032 है0 को रास्ते की तरमीम की जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ जिला अजमेर।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2020.02.03 16:19:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: